

भगवान सहाय व अन्य बनाए तुलसी देवी

दावा संख्या: 122 / 2022

| दिनांक | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|------------|---|-------------|
| 06.08.2024 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित, प्रतिवादी अनुपस्थित। बहस वादी पत्रावली में सुनी गई। दौराने बहस वादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वादी का वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सव्यय न्यायालय सहित डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान् 842 रकबा 0.2300 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1086 / 842 रकबा 0.2000 हैक्टेयर जो वाके ग्राम ग्वार ब्राह्मणान पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा तह0 सांगानेर मे स्थित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि के राजस्व नक्शे में उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार दुरुस्ती करवाने व उसी अनुसार पुख्ता सीमा निर्धारण किया जावे, इस हेतु प्रतिवादी संख्या 2 को तहरीर जारी फरमायी जावे तथा वादी का वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सव्यय न्यायालय सहित डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित वादी की उक्त भूमि से वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे करावे एवं वादी को उक्त भूमि के शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व रुकावट उत्पन्न नहीं करे करावे तथा वादी की उक्त भूमि की पूर्वी सीमा पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण/ कब्जा एवं अवैध निर्माण आदि नहीं करे करावे तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।</p> <p>बहस वादी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्वार ब्राह्मणान पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा तह0 सांगानेर मे स्थित हाल खसरा नम्बर 842 रकबा 0.2300 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1086 / 842 रकबा 0.2000 हैक्टेयर के राजस्व नक्शे को राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबे के अनुसार दुरुस्त किया जाता है। उभयपक्षकारान सीमाचिन्ह के लिए तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थना पेश करे। तहसीलदार सांगानेर उभयपक्षकारान से प्राप्त सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त खसरा नम्बरान् की सीमाचिन्ह कायम करे। सीमाचिन्ह के बाद उभयपक्षकारान एक-दूसरे की भूमि में दलख नही देवे, पाबन्द किया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को सुनाया गया।</p> | |

उपस्थित सिद्धिकारी
जयपुर अधिव. एस. (सांगानेर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

